न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 15 / 2018

तारीख रजू – 6.4.2018

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

बृजमोहन पुत्र राजूलाल उर्फ रज्जू निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला रौली।

(सायल)

बनाम

केला पुत्र उम्मेद जाति गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. धप्पे पुत्री उम्मेद पत्नि रामसिंह गूर्जर निवासी मेंडे का पुरा तहसील नादौती जिला करौली।
3. रूपराम पुत्र हरिप्रसाद गूर्जर निवासी कटाराअजीज तहसील टोडाभीम।
4. भरोसी पुत्र श्रवण गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम
5. गिर्राज पुत्र श्रवण गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम
6. चैनी पुत्री श्रवण पत्नि शिवलाल गूर्जर निवासी कटारा अजीज तहसील टोडाभीम
7. उदयसिंह पुत्र रामसहाय गूर्जर निवासी खादनगाव तहसील हिण्डौन सिटी
8. विजय पुत्र राजूलाल उर्फ रज्जू गूर्जर निवासी लुहारखेडा तहसील टोडाभीम।
9. बैंक ऑफ बडौदा मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

उपस्थिति– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट सायल
श्री देवेन्द्र शर्मा एडवोकेट गैरसायल न0 1, 4, 5, 8
श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट गैरसायल न0 9

निर्णय

दिनांक:– 20.02.2020

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0न0 587 / 0.60, 588 / 0.28, 589 / 0.25, 590 / 0.09, 591 / 0.18, 598 / 0.07, 599 / 0.10, 608 / 0.09, 609 / 0.12 कुल किता 9 कुल रकवा 1.78 है0 मे गैरसायल न0 1 के नाम हिस्सा 1 / 2 गैरसायल न0 4 के नाम 1 / 2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उक्त आराजीयात का साबिक ख0न0 493 / 5 मिन रकवा 5 बीघा 11 बिस्वा है जो सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 8 के बुजुर्ग धुडया पुत्र रणधीर गूर्जर के नाम जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2019 मे दर्ज है।

आराजी ख0न0 202 / 0.12, 203 / 0.08, 479 / 0.14, कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 जो कि साबिक ख0न0 280मी0 रकवा 16 बिस्वा, 339 / 2 रकवा 11 बिस्वा से बने है जो सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 8 के बुजुर्ग धुडया पुत्र रणधीर गूर्जर के नाम जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2019 मे दर्ज है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

आराजी ख0न0 28/0.10, 29/0.09, 139/0.06, 140/0.05, 215/0.23, 215/762/0.02, 216/0.07, 216/763/0.02, 217/0.09, 218/0.08, 480/0.23, 504/0.29, 511/0.35, 537/0.20, 539/0.24, 541/0.08, 542/0.09, 543/0.01, 544/0.18, 547/0.13, 551/0.23, कुल किता 21 कुल रकबा 2.84 है0 मे सायल एव गैरसायल न0 1 का 1/4 हिस्सा तथा गैरसायल न0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा हाल जमाबन्दी मे दर्ज रिकार्ड है।

सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 8 सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायलान न0 1 ता 8 को अपने बुजुर्ग धूडया से विरासत मे मिली है। जिसमे आराजीयात मद न0 3 प्रार्थना पत्र मे सायल व गैरसायल न0 8 के पिता राजूलाल उर्फ रज्जू के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज हो गई। लेकिन मद न0 3 की आराजीयात मे सायल के पिता राजूलाल का नाम दर्ज नही हुआ, क्योकि गैरसायल न0 1 तथा गैरसायल न0 4 व 5 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति थे। जिन्होने बडे भाई व समझदार होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात मद न0 2 मे केवल गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/2 तथा गैरसायल न0 4 हिस्सा 1/4 रिकार्ड दर्ज करवालिया। क्योकि दोनो ही कर्ता खानदान थे और बडे भाई होने के कारण उक्त आराजीयात की खातेदारी अकेले के नाम दर्ज करवाली, जबकि उक्त आराजीयात मे सायल के पिता राजूलाल का नाम गैरसायल न0 1 के साथ दर्ज होना चाहिये था लेकिन गैरसायल न0 1 ने सेटलमेन्ट कर्मचारियो से मिलकर अकेले स्वंय के नाम खातेदारी दर्ज करवाली। जिसका ना तो सेटलमेन्ट कर्मचारियो को अधिकार था, नाही गैरसायल न0 1 को अधिकार था। इसी प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारीयो से मद न0 3 मे वर्णित आराजीयात मे भी गैरसायल न0 5 ने मिलकर सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाली। जबकि उक्त मद मे वर्णित आराजीयात मे सायल के पिता राजूलाल के नाम खातेदारी दर्ज नही की। उक्त मद न0 2 व 3 मे सायल का मुताबिक हिस्सा कब्जा चला आ रहा है। पूर्व मे सायल के पिता राजूलाल का उक्त आराजीयात पर मौके पर कब्जा चला आ रहा था। जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 से 2019 मे दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजीयात मद न0 2 व 3 मे सायल व गैरसायल न0 1 ता 8 को अपने बुजुर्ग धूडया पुत्र रणधीर से विरासत मे मिली होने के कारण सायल का बाई बर्थ जन्म से ही उक्त आराजी पर लॉग टर्मस पजेशन होने के कारण भी सायल खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

बॉका दिनांक 13.3.2018 को सायल अपने पिता राजूलाल की मृत्यु के उपरान्त आराजीयात मद न0 2 ता 4 का नामांतकरण खुलवाने पटवारी के पास गया तो पटवारी हल्का ने सायल को बताया कि आराजीयात मद न0 2 ता 4 मे सायल के पिता का नाम रिकार्ड मे दर्ज नही होने के कारण आराजीयात मद न0 2 व 3 का नामांतकरण सायल के नाम विरासत के आधार पर नही खोला जा सकता। उक्त आराजीयात की खातेदारी केवल गैरसायल न0 1 तथा 4, 5 के नाम दर्ज है। सायल ने कहा कि उक्त आराजीयात मुझे विरासत मे मिली है तथा मेरा ही कब्जा है। पता चलने पर सायल ने गैरसायल न0 1 तथा 4, 5 से मिला और खातेदारी कराने का निवेदन किया लेकिन गैरसायल न0 1 ता 4 व 5 ने सायल के नाम खातेदारी कराने से इन्कार कर दिया। सायल के कब्जे काश्त की भूमि को किसी दीगर लट्ठ वाले व्यक्ति को विक्रय करने एवं बैक रहन करने एवं सायल को बेदखल करने की धमकी देने पर समझाया लेकिन वे नही माने इसलिये यह दावा बावत घोषणा खातेदारी, तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायल का प्राईमाफेशी केश बखुबी साबित है यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अपूर्तनीय क्षति होगी। पैतृक आराजी होने से सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को अंतिम अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि ग्राम लुहारखेड़ा स्थित आराजीयात ख0न0 587 / 0.60, 588 / 0.28, 589 / 0.25, 590 / 0.09, 591 / 0.18, 598 / 0.07, 599 / 0.10, 608 / 0.09, 609 / 0.12 कुल किता 9 कुल रकवा 1.78 है0, ख0न0 202 / 0.12, 203 / 0.08, 479 / 0.14, कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0, ख0न0 28 / 0.10, 29 / 0.09, 139 / 0.06, 140 / 0.05, 215 / 0.23, 215 / 762 / 0.02, 216 / 0.07, 216 / 763 / 0.02, 217 / 0.09, 218 / 0.08, 480 / 0.23, 504 / 0.29, 511 / 0.35, 537 / 0.20, 539 / 0.24, 541 / 0.08, 542 / 0.09, 543 / 0.01, 544 / 0.18, 547 / 0.13, 551 / 0.23, कुल किता 21 कुल रकवा 2.84 है0, मे सायल के हिस्से व किसी प्रकार से बलपूर्वक हस्तक्षेप नही करे नाही किसी अन्य से करावे। नाही किसी तीसरे व्यक्ति का नाम दर्ज नही करे नाही किसी अन्य से करावे। गैरसायल न0 10 को अंतिम स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि सायल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हक मे किसी प्रकार के दस्तावेज तस्दीक नही करे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस सूचित किया गया। गैरसायल न0 1, 4, 5, 8, 9 जरिये वकालतन उपस्थित हुये। शेष गैरसायलान बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। गैरसायल न0 1, 4, 5, 8 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम लुहारखेड़ा की आराजी ख0न0 587 / 0.60, 588 / 0.28, 589 / 0.25, 590 / 0.09, 591 / 0.18, 598 / 0.07, 599 / 0.10, 608 / 0.09, 609 / 0.12 कुल किता 9 कुल रकवा 1.78 है0 मे गैरसायल न0 1 व गैरसायल न0 2 हिस्सा 1 / 2–1 / 2 के खातेदार काश्तकार है। गैरसायल न0 1.4.5.8. के बुजुर्ग धूडया राम नही होकर भौला राम था। धूडया से गैरसायल न0 1, 4, 5, 8 का कोई सबध नही था नाही नजदीकी कुटुम्बी था। आराजी ख0न0 202 / 0.12, 203 / 0.08, 479 / 0.14, कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 जो कि साबिक ख0न0 280मि0 रकवा 16 बिस्व, 339 / 2 रकवा 11 बिस्वा से सायल का कोई सबध नही है साबिक ख0न0 208 मि रकवा 16 बिस्वा ओर 339 / 2 रकवा 11 बिस्वा मे धूडया पुत्र रणधीर की खातेदारी नही थी। गैरसायल न0 1, 4, 5, 8 का कोई सबध नही था। आराजी ख0न0 28 / 0.10, 29 / 0.09, 139 / 0.06, 140 / 0.05, 215 / 0.23, 215 / 762 / 0.02, 216 / 0.07, 216 / 763 / 0.02, 217 / 0.09, 218 / 0.08, 480 / 0.23, 504 / 0.29, 511 / 0.35, 537 / 0.20, 539 / 0.24, 541 / 0.08, 542 / 0.09, 543 / 0.01, 544 / 0.18, 547 / 0.13, 551 / 0.23, कुल किता 21 कुल रकवा 2.84 है0 मे गैरसायल न0 3 ता 8 के पिता राजूलाल उर्फ राजू वाली इबारत गलत है। गैरसायल न0 8 के पिता राज उर्फ राजूलाल है। सजरा खानदान गलत बनाया है। धूडया का पुत्र रामसहाय व रामसहाय के दो पुत्र महेश व मुकेश है। एव राजूलाल उर्फ रज्जो की दो ओर पुत्री मुकेशी व प्रकाशी है जो आवश्यक पक्षकार है इन्हे पक्षकार नही बनाया है। वर्णित आराजीयात धूडया से विरासत मे नही मिली है नाही धूडया गैरसायल न0 1, 4, 5, 8 का बुजुर्ग था। ख0न0 587 / 0.60, 588 / 0.28, 589 / 0.25, 590 / 0.09, 591 / 0.18, 598 / 0.07, 599 / 0.10, 608 / 0.09, 609 / 0.12 कुल किता 9 कुल रकवा 1.78 है0 , एवं ख0न0 202 / 0.12, 203 / 0.08, 479 / 0.14, कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 से राजूलाल का कोई संबध वास्ता ही नही है तो राजूलाल का नाम दर्ज होने का कोई प्रश्न ही नही होता। यह कहना बिल्कुल गलत है कि गैरसायल न0 1 ने सेटलमेन्ट कर्मचारियो से मिलकर गलत खातेदारी दर्ज करवा ली है। सायल ने उक्त आराजीयात के साबिक ख0न0 भी अंकित नही किये है। आराजीयात पर सायल का न तो कोई हिस्सा है नाहि कोई कब्जा है। नाही खसरा गिरदावरी सम्वत 2017–19 मे राजू लाल का कब्जा दर्ज नही है, गैर सायल न0 1,4,5,8, का धूडया से

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कोई संबध नही है तो विरासत मिलने का कोई प्रश्न नही है। राजूलाल को अपने जीवनकाल मे ही पता था कि इस आराजीयात से कोई वास्ता नही है। यदि संबध वास्ता होता तो अपने जीवनकाल मे ही इन्द्राज दुरूस्ती का दावा दर्ज कर देता। बॉका दिनांक 13.3.18 का दर्ज करना बिल्कुल गलत व असत्य है। सायल को किसी प्रकार की क्षति नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब विशेष विवरण मे यह भी लिखा है कि सायल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत धूडया का किस श्रेणी का वारिस है। सायल का धूडया क्या लगता था। सायल उक्त आराजीयात मे न तो खातेदार है नाही सहखातेदार है बिना खातेदारी के ही गैरसायल न0 1, 4, 5, 8 के विरूद्व भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो मेन्टेबिल नही है। साबिक ख0न0 493/5 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, 280मि. रकबा 16 बिस्वा, 339/2 रकबा 11 बिस्वा ग्राम लुहारखेडा को सम्वत 2008 से 19 मे धूडया की खातेदारी मे दर्ज होना बताया है इनसे नये नम्बर क्या बने है। दर्ज नही है। साबिक ख0न0 493/5 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा सम्वत 2023 से गैरसायल न0 4 भरोसी की खातेदारी व कब्जे मे करीब 53 वर्ष से चली आ रही है सायल का इस भूमि से कोई संबध नही है दावा एवं प्रार्थना पत्र 53 वर्ष बाद किया है जो म्याद बाहर है। सायल ने धूडया के वारिस महेश व मुकेश एवं सायल की बहिन मुकेशी व प्रकाशी जो आवश्यक पक्षकार थी, जिन्हे पक्षकार नही बनाया है नॉन जोईन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होने से दावा एवं प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 9 की ओर से जबाब पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात बैक के पक्ष मे रहन रखी हुई है। बैक की राशी जब तक जमा नही हो जाती तब तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे तब्दीली नही की जावे। सायल रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि सायल एवं गैरसायलान न0 1 ता 8 सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजीयात सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 8 को अपने बुजुर्ग विरासत मे मिली है। किन्तु मद न0 3 मे सायल व गैरसायल न0 8 के पिता राजूलाल उर्फ रज्जू के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज हो गयी किन्तु मद न0 2 व 3 की आराजीयात मे सायल के पिता राजूलाल का नाम दर्ज नही हुआ। गैरसायल न0 1, 4, 5 ने चालाकी से सेटलमेन्ट कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराली। जबकि हिस्सानुसार सायल का एवं पहले सायल के पिता का कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी वकील ने जबाब दावे मे वर्णित किया है कि धूडया के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। धूडया के जीवित होने के कारण उनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। धूडया से विरासत मे मिली होने के कारण पजेशन के आधार पर खातेदारी कराने के हकदार है। खातेदारी होने के लिये मूल दावा के निस्तारण तक गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सायल के हिस्से के कब्जे काश्त मे महाहमत मदाखलत नही करे। व आराजीयात का रहन व्यय नही करे।

गैरसायलान न0 1,4,5, 8 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि धूडया से गैरसायल 1, 4, 5, 8 का कोई संबध किसी प्रकार का नही था नाही नजदीकी कुटुम्बी था। साबिक ख0न0 280 एवं 339/2 धूडया पुत्र रणधीर की खातेदारी नही थी। सायल ने सजरा गलत बनाया है। धूडया के विरासत दर्ज नही की है सायल ने प्रार्थना पत्र मे धूडया जो कि फौत हो चुका है, किन्तु उनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया है, जबकि धूडया के एक पुत्र रामसहाय था, रामसहाय के दो पुत्र महेश व मुकेश है जिन्हे पक्षकार ही नही बनाया गया है। तथा सायल ने अपनी बहनो को भी पक्षकार नही बनाया है जो मिसजाईन्डर ऑफ पार्टीज की श्रेणी मे आता है। इसलिये भी प्रार्थना पत्र

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

खारिज योग्य है। सायल घूडया के किस प्रकार वारिसान है इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र मे नही किया है। सही बात यह है कि घूडया के वारिसान महेश व मुकेश उसके तर्के पर काबिज एवं दखिल है सायल का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से साबित नही है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। गैरसायलान वकील द्वारा फोटो प्रति ग्राम पंचायत उर्दैन 8.12.19 व फोटो प्रति वोटरलिस्ट राजस्थान निर्वाचक नामावली 2018 ग्राम लुहारखेडा तहसील टोडाभीम पेश की।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिये तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण:– पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया सायल ने घूडया की आराजीयात मे हिस्सा दर्ज कराने के बावत दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे सायल द्वारा ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0न0 587/0.60, 588/0.28, 589/0.25, 590/0.09, 591/0.18, 598/0.07, 599/0.10, 608/0.09, 609/0.12 कुल किता 9 कुल रकवा 1.78 है0 व आराजी ख0न0 202, 203, 479 कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 व आराजी ख0न0 28/0.10, 29/0.09, 139/0.06, 140/0.05, 215/0.23, 215/762/0.02, 216/0.07, 216/763/0.02, 217/0.09, 218/0.08, 480/0.23, 504/0.29, 511/0.35, 537/0.20, 539/0.24, 541/0.08, 542/0.09, 543/0.01, 544/0.18, 547/0.13, 551/0.23, कुल किता 21 कुल रकवा 2.84 है0 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बावत रिलीफ चाही गई है। पत्रावली मे सलग्न दस्तावेज अनुसार ग्राम लुहारखेडा की आराजी ख0न0 587/0.60, 588/0.28, 589/0.25, 590/0.09, 591/0.18, 598/0.07, 599/0.10, 608/0.09, 609/0.12 कुल किता 9 कुल रकवा 1.78 है0 मे गैरसायल न0 1 के नाम हिस्सा 1/2 गैरसायल न0 4 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उक्त आराजीयात का साबिक ख0न0 493/5 मिन रकवा 5 बीघा 11 बिस्वा है जो धूडया पुत्र रणधीर गूर्जर के नाम जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2019 मे दर्ज है। आराजी ख0न0 202/0.12, 203/0.08, 479/0.14, कुल किता 3 कुल रकवा 0.34 है0 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2071–74 मे गिर्राज पुत्र श्रवण के नाम रिकार्ड दर्ज है। जो कि साबिक ख0न0 280मी0 रकवा 16 बिस्वा, 339/2 रकवा 11 बिस्वा से बने है जो धूड्या पुत्र रणधीर गूर्जर के नाम जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2019 मे दर्ज है। ग्राम लुहारखेडा के ख0न0 28/0.10, 29/0.09, 139/0.06, 140/0.05, 215/0.23, 215/762/0.02, 216/0.07, 216/763/0.02, 217/0.09, 218/0.08, 480/0.23, 504/0.29, 511/0.35, 537/0.20, 539/0.24, 541/0.08, 542/0.09, 543/0.01, 544/0.18, 547/0.13, 551/0.23, कुल किता 21 कुल रकवा 2.84 है0 की खातेदारी कैला पुत्र उम्मेद हिस्सा 1/4, कैलाबक्स पुत्र उम्मेद, राजू पुत्र उम्मेद हिस्सा 1/4, भरोसी, गिर्राज पि0 श्रवण हिस्सा 1/2 जाति गूर्जर के नाम दर्ज है। जिसके बावत सायल द्वारा किसी भी प्रकार का साबिक रिकार्ड पेश नही किया गया है। सायल प्रार्थना पत्र मे घूडया पुत्र रणधीर का वारिस बनकर रिलीफ चाहता है। किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज सायल की ओर से पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि सायल घूडया के वारिसान है। दौराने बहस यह बिन्दू विशेष उल्लेखनीय रहा कि घूडया फौत हो चुका है अथवा जीवीत है? अप्रार्थी वकील का कथन रहा कि घूडया फौत हो चुका है उसके पुत्र रामसहाय एवं रामसहाय के दो पुत्र महेश व मुकेश है जिन्हे पक्षकार नही बनाया है। गैरसायलान वकील द्वारा दौराने बहस दस्तावेज ग्राम पंचायत उर्दैन के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति दिनांक 8.12.19 पेश की जिसमे उल्लेख है कि घूडया का रामस्याह है और रामस्या का मुकेश, महेश है। यह व्यक्ति ग्राम लुहारखेडा के रहने वाले है। राजस्थान निर्वाचक नामावली 2018 ग्राम लुहारखेडा के भाग सख्या 149 के कम सख्या 457

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

पर रामसहाय पुत्र घूडया व 459 पर मुकेश कुमार पुत्र रामसहाय व 461 पर महेश पुत्र रामसहाय दर्ज है। अतः जब घूडया के वारिस मौजूद है तो घूडया की सम्पत्ति सायल के नाम कैसे की जा सकती है। इस बावत सायल वकील द्वारा स्वंय को घूडया का वारिसान होने बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे नही है।

सुविधा का संतुलनः– सायल द्वारा कब्जा काश्त के संबध मे कोई दस्तावेज पेश नही करने एवं खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज होने से सद्‌भावी काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन के गैरसायलान के पक्ष मे है सायलान के पक्ष मे नही है।

अपूर्तनीय क्षतिः– गैरसायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्कार है। यदि इन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/2/2020
(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:24:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: